

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है, संविधान के प्रावधान के तहत भारित होने वाला व्यय उसके अनुरूप भारित है एवं किया गया व्यय विधि सम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

बिहार सरकार का बिहार बजट मैनुअल यह निर्धारित करता है कि सभी अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग को चालू वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामले में अभ्यर्पण 31 मार्च तक अवश्य किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: प्रावधानों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कालम 5/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत्त						
I- राजस्व	1,17,566.78	87,326.86	(-) 30,239.92	20,422.79	15,842.62	67.54
II- पूँजीगत	37,603.30	27,408.94	(-) 10,194.36	8,762.13	2,224.24	85.95
III- ऋण एवं अग्रिम	655.67	113.87	(-) 541.80	539.27	439.16	99.53
कुल दत्तमत्त	1,55,825.75	1,14,849.67	(-) 40,976.08	29,724.19	18,506.02	72.54
भारित						
IV- राजस्व	9,258.09	8,934.08	(-) 324.01	46.92	46.65	14.48
V- पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI- लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,267.79	4,214.57	(-) 53.22	0.00	0.00	0.00
कुल भारित	13,525.88	13,148.65	(-) 377.23	46.92	46.65	12.44
महायोग	1,69,351.63	1,27,998.32	(-) 41,353.31	29,771.11	18,552.67	71.99

नोट: कुल व्यय में ₹ 1,495.75 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली /वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 200.55 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

₹ 41,353.31 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा 8 विनियोगों में ₹ 30,563.93 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के आठ अनुदानों (लोक ऋण पुनर्भुगतान) सहित 31 अनुदानों में ₹ 10,789.38 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

कुल बचत, कुल अनुदानों/विनियोगों का 24.42 प्रतिशत था। ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से केवल 71.99 प्रतिशत (₹ 29,771.11 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ तथा विभागीय नियंत्री

पदाधिकारियों द्वारा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) को व्यपगत होने दिया गया। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की गुंजाईश नहीं रही। यह एक गंभीर चिंतनीय विषय है एवं प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

यद्यपि, वित्त विभाग ने राज्य के सभी 44 विभागों को बचत के कारणों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (जनवरी 2018), केवल पाँच विभागों¹ ने जवाब दिया और बचतों को भारत सरकार द्वारा योजनाओं का अनुमोदन न मिलना, कुछ जिलों में धन की गैर निकासी एवं धारणाओं पर बजट अनुमानों की तैयारी को जिम्मेदार ठहराया। ब्याज भुगतान के तहत बचत का कारण ऋण की शेष राशि का एकमुश्त भुगतान, विदेशी मुद्रा की विनियम दर में उतार-चढ़ाव, जमीन्दारी बॉन्ड का दावा का अप्रस्तुतीकरण इत्यादि को बताया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमानों को तैयार करते समय या वित्त विभाग द्वारा व्यय की मासिक समीक्षा के दौरान इनमें से कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

वृत्त 1% वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रि पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के अधिकाई व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिये यह अधिदेशात्मक है कि अनुदान/विनियोग में अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा किया जाए। यद्यपि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों² से संबंधित ₹ 807.36² करोड़ की अधिकाई व्यय की राशि का नियमितीकरण नहीं किया। लंबित अधिकाई व्यय के नियमितीकरण की स्थिति को विस्तृत रूप से **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

वृत्त 1% वित्त विभाग को पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 807.36 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के अदत्तमत व्यय पूर्णतः रोक देने चाहिए सिवाय आपातकालीन विकट परिस्थिति के, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती है।

2.3.2 बचत

28 अनुदान/विनियोगों से संबंधित बचत के 35 मामलों में, कुल प्रावधान (₹ 90,636.67 करोड़) में से ₹ 33,436.21 करोड़ (36.89 प्रतिशत), प्रत्येक ₹ 100 करोड़ एवं अधिक राशि के थे जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे जिनको **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

¹ (i) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, (ii) सामान्य प्रशासन विभाग (iii) ग्रामीण कार्य विभाग, (iv) श्रम संसाधन विभाग और (v) वित्त विभाग।

² इसमें से पशुपालन विभाग से संबंधित ₹ 657.98 करोड़, न्यायालय में विचाराधीन है।

³ 1977-78 (₹ 0.06 करोड़), 1978-79 (₹ 0.32 करोड़), 1982-83 (₹ 0.98 करोड़), 1984-85 (₹ 2.63 करोड़), 1987-88 (₹ 7.53 करोड़), 1988-89 (₹ 6.59 करोड़), 1989-90 (₹ 9.00 करोड़), 1990-91 (₹ 47.55 करोड़), 1991-92 (₹ 70.72 करोड़), 1992-93 (₹ 87.77 करोड़), 1993-94 (₹ 125.03 करोड़), 1994-95 (₹ 170.61 करोड़), 1995-96 (₹ 146.49 करोड़), 1996-97 (₹ 6.37 करोड़), 1998-99 (₹ 0.33 करोड़), 1999-00 (₹ 0.01 करोड़), 2003-04 (₹ 0.44 करोड़), 2004-05 (₹ 5.57 करोड़), 2010-11 (₹ 0.35 करोड़), एवं 2015-16 (₹ 119.01 करोड़)।

तालिका 2.2: ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत के अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)


क्रम सं०	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य	बचत का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1-कृषि विभाग	2,698.13	178.68	2,876.81	1,662.15	1,214.66	42.22
2	15-पेंशन	16,285.30	0.30	16,285.60	12,514.52	3,771.08	23.16
3	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	19.98	2,163.20	1,065.68	1,097.52	50.74
4	20-स्वास्थ्य विभाग	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
5	35-योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	75.66	2,327.25	1,036.16	1,291.09	55.48
6	39-आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	1,205.61	1,803.55	593.52	1,210.03	67.09
7	42-ग्रामीण विकास विभाग	5,434.94	4,842.57	10,277.51	5,809.16	4,468.35	43.48
8	48-नगर विकास एवं आवास विकास	3,409.36	1,213.38	4,622.74	3,377.92	1,244.82	26.93
9	51-समाज कल्याण विभाग	4,871.17	1,773.02	6,644.19	4,845.24	1,798.95	27.08
कुल राजस्व		45,013.33	10,088.27	55,101.60	35,654.14	19,447.46	35.29
(ब) पूंजी							
10	3-भवन निर्माण विभाग	2,560.46	317.81	2,878.27	1,340.46	1,537.81	53.43
11	10-ऊर्जा विभाग	9,017.69	2,126.65	11,144.34	5,813.60	5,330.74	47.83
कुल दत्तमत		11,578.15	2,444.46	14,022.61	7,154.06	6,868.55	48.98
कुल योग (अ+ब)		56,591.48	12,532.73	69,124.21	42,808.20	26,316.01	38.07

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2016-17)

₹ 1,000 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक के बचत के उल्लेखनीय मामले चार्ट 2.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.1: 2016-17 के दौरान करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)



2.3.3 सतत् बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 70 करोड़ या उससे अधिक (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत् बचत ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच हुए, जैसा कि तालिका 2.3 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.3: 2012-13 से 2016-17 के दौरान सतत् बचत को इंगित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	426.49 (44.31)	607.69 (62.55)	211.60 (32.11)	188.32 (31.37)	133.54 (22.24)
2	12-वित्त विभाग	223.31 (31.97)	106.32 (27.48)	124.99 (45.19)	116.02 (45.17)	100.83 (38.82)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	569.78 (22.26)	623.24 (22.30)	914.11 (21.60)	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)
4	27-विधि विभाग	151.31 (26.11)	141.61 (22.78)	179.09 (26.60)	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	72.52 (14.96)	132.67 (21.20)	224.14 (31.73)	238.37 (32.74)	363.64 (44.40)
6	41-पथ निर्माण विभाग	109.32 (16.45)	413.22 (32.96)	359.65 (28.57)	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	92.81 (25.99)	668.14 (66.10)	375.42 (57.59)	359.97 (51.86)	102.64 (30.00)
	कुल	1,645.54	2,692.89	2,389.00	2,131.01	4,563.46
पूँजीगत दत्तमत						
8	3-भवन निर्माण विभाग	722.07 (69.33)	659.52 (40.88)	1,719.79 (60.50)	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	265.47 (50.66)	97.55 (13.62)	601.57 (40.46)	432.15 (35.84)	580.58 (33.28)
10	49-जल संसाधन विभाग	672.73 (27.47)	1,853.56 (53.61)	1,262.62 (50.27)	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	127.24 (43.26)	108.10 (35.51)	181.00 (50.03)	122.14 (37.85)	161.05 (56.45)
	योग	1,787.51	2,718.73	3,764.98	2,152.97	2,790.76
	कुल योग	3,433.05	5,411.62	6,153.98	4,283.98	7,354.22

(स्रोत : वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

अनुशांसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए की सभी अनुमानित बचतों का ससमय अभ्यर्पण किया जाए ताकि निधि का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.3.3.1 सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत योजनाओं में सतत् बचत

योजना मद के अंतर्गत आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक सेवा की योजनाओं में पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) की बचतों (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) के विश्लेषण से यह पता चला कि सतत् बचत मुख्यतः शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित है जिसे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2014-15 से 2016-17 दौरान सतत् बचत के शीर्षों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत
1	2202-01-109-0102- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	254.00	45.87 (18.06)	308.93	60.37 (19.54)	280.00	117.37 (41.92)
2	2202-01-109-0103- मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	58.45	41.16 (70.42)	58.45	11.97 (20.48)	25.00	21.20 (84.80)
3	2202-01-789-0102- मुख्यमंत्री पोशाक योजना	72.80	28.76 (39.51)	190.00	76.99 (40.52)	52.00	10.12 (19.46)
4	2202-02-107-0108- अन्य विद्यालय	311.28	122.90 (39.48)	175.42	31.27 (17.83)	287.22	156.53 (54.50)
5	2202-02-110-0209- मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की योजना	180.56	180.56 (100.00)	180.56	164.92 (91.34)	33.33	33.33 (100.00)
6	2202-02-196-0001- जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान	311.66	83.50 (26.79)	489.84	143.01 (29.19)	753.86	156.64 (20.78)
7	2202-03-102-0323- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	144.00	140.00 (97.22)	75.00	62.67 (83.56)	40.00	35.60 (89.00)
8	2202-03-107-0104- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	48.05	10.41 (21.66)	64.62	41.64 (64.44)	35.00	15.00 (42.86)
9	2202-04-200-0203- अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	210.62	170.96 (81.17)	106.20	39.87 (37.54)	65.00	41.59 (63.98)
10	2202-80-001-0102- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	32.63	28.07 (86.03)	31.25	20.59 (65.89)	18.83	15.51 (82.37)

(कोष्टक में आँकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशता को दर्शाते हैं।)

(स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखा)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 20.59 से लेकर ₹180.56 करोड़ (66 से 100 प्रतिशत) के उल्लेखनीय बचत देखे गए जो मदरसों, अल्पसंख्यकों और अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय में प्रदर्शित हुए।

अनुशांसा: वित्त विभाग को शिक्षा विभाग की प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधानों के विरुद्ध सतत् बचत की पुनरावृत्ति न हो।

2.3.4 अनावश्यक पूरक प्रावधान

2016-17 के दौरान, 46 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में प्रदर्शित है।

2.3.5 निधि का अत्यधिक /अनावश्यक पुनर्विनियोजन

19 अनुदानों/विनियोगों से संबद्ध 57 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 278.12 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 596.80 करोड़ था (**परिशिष्ट 2.4**)। यह भी देखा गया कि 15 अनुदानों/ विनियोजन में शामिल 36 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 691.68 करोड़ प्रदान किया गया जो कि ₹ 107.13 करोड़ की बचत के संदर्भ में अत्यधिक साबित हुआ

(परिशिष्ट 2.5)। यह इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त 10 मामलों में ₹ 43.88 करोड़ का अधिकार व्यय था, जिसे आंशिक रूप से ₹ 259.75 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन के माध्यम से अविवेकपूर्ण निकासी को सहायक माना जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.5 में है।

तालिका 2.5: निधि का पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अधिक व्यय
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	2403-00-103-0003-रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र, केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	5.20	0.06	1.07	4.13	0.06
2	03	4059-01-051-0101- भवन	216.43	1.20	89.57	126.16	0.50
3	08	2205-00-107-0001-संग्रहालय	20.73	3.34	6.36	11.07	0.04
4	16	2515-00-107-0003-जिला पंचायत की स्थापना	267.31	0.55	95.65	171.63	0.52
5		2515-00-198-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	1,654.25	241.43	58.28	1,385.49	30.95
6	23	2851-00-789-0104-हस्तकरघा विकास योजना	14.80	3.70	10.34	4.46	3.70
7	26	2230-03-101-0001-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य परिषद प्रशासन	46.24	0.05	7.26	38.94	0.01
8	44	2225-01-277-0011-छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन	10.85	1.27	8.78	0.85	0.05
9	51	2235-02-104-0104-बिहार सामाजिक सुरक्षा परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	95.80	8.00	0.00	95.80	8.00
10		2235-02-106-0001-सुधार गृह	5.77	0.15	3.22	2.45	0.05
योग			2,337.38	259.75	280.53	1,840.98	43.88

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा)

इसी प्रकार, 27 अनुदानों के अंतर्गत 68 मामलों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से (₹ 484.91 करोड़) की अपर्याप्त निकासी के परिणामस्वरूप ₹ 1,260.86 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को अनुदान नियंत्री पदाधिकारियों के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव से केवल तभी सहमत होना चाहिए यदि व्यय की प्रवृत्ति इन्हें संतुष्ट करती हो।

2.3.6 वृहत् अभ्यर्पण

26 अनुदानों / विनियोजनों के अन्तर्गत 126 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 18,806.05 करोड़ में से ₹ 14,426.57 करोड़ (76.71 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये (प्रत्येक मामले में ₹ 5 करोड़ या कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में दर्शाया गया है। आगे, 35 अनुदानों / विनियोजनों के अन्तर्गत

186 लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (₹ 3,421.66 करोड़⁴) का अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट 2.8)। इस तरह के पर्याप्त अभ्यर्पणों से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुआ।

विभाग द्वारा राशियों के अभ्यर्पण का कारण, योजना परिव्यय में संशोधन, केन्द्रांश तथा प्रशासनिक अनुमोदन की अप्राप्ति, पर्याप्त राशि की स्वीकृति न होना, नियुक्तियों/स्थानान्तरणों के पूर्वानुमान में असमर्थता तथा नोडल एजेंसियों से राशि की अप्राप्ति एवं अन्य को बताया गया।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

10 विभागों में कुल बचत ₹ 2,212.84 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,292.84 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण इंगित करता है कि विभागों ने मासिक व्यय विवरण से व्यय के प्रवाह को देखकर समुचित बजटीय नियंत्रण नहीं किया।

तालिका 2.6: वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व दत्तमत					
1	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	600.34	133.54	134.52	0.98
2	16-पंचायती राज विभाग	7,386.33	919.67	944.66	24.99
3	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	162.86	8.79	9.14	0.35
4	33-सामान्य प्रशासन विभाग	673.41	169.23	170.34	1.11
5	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	434.32	87.12	90.31	3.19
6	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	101.06	20.98	21.06	0.08
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	342.12	102.64	103.22	0.58
कुल राजस्व		9,700.44	1,441.97	1,473.25	31.28
पूँजीगत दत्तमत					
1	20-स्वास्थ्य विभाग	1,120.29	261.23	266.74	5.51
2	23-उद्योग विभाग	127.40	1.87	2.34	0.47
3	41-पथ निर्माण विभाग	5,784.91	442.80	485.09	42.29
4	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	378.32	64.97	65.42	0.45
कुल पूँजीगत		7,410.92	770.87	819.59	48.72
महायोग		17,111.36	2,212.84	2,292.84	80.00

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

बि०ब०मै० के नियम 104 के अनुसार व्यय विभागों को, जब बचत का पूर्वानुमान हो तब अनुदानों/विनियोजनों को या उसके हिस्से को वित्त विभाग को अभ्यर्पण करना आवश्यक है। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के अंत में 12 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 17 मुख्य शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा) ₹ 8,998.92 करोड़ की बचत हुई जिसके किसी भी हिस्से का अभ्यर्पण व्यय करने वाले विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.9 में है।

⁴ प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक।

इसके अतिरिक्त, 34 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 70 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत) कुल प्रावधान (₹ 63,016.77 करोड़) में से ₹ 17,354.26 करोड़ (27.54 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.10** में है।


अनुशंसा: वित्त विभाग को निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

2.3.9 सघन व्यय

बि0ब0मै0 यह निर्धारित करता है कि बिलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है। व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

17 विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (₹ 19,036.99 करोड़) वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 27,738.38 करोड़) का 68.63 प्रतिशत था एवं मार्च 2017 का व्यय (₹ 14,175.07 करोड़) कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.11** में है। इनमें से 17 विभागों द्वारा मार्च 2017 में ₹ 76.66 करोड़ का आहरण आकस्मिक सार विपत्रों द्वारा किया गया जो यह दर्शाता है कि यह बजटीय प्रावधान को निःशेष करने के लिए किया गया था एवं वास्तविक बचत दर्शाए गए से अधिक है। आगे, छः विभागों के कुल व्यय (₹ 20,047.98 करोड़) में से ₹ 11,353.79 करोड़ (56.49 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में किया गया जैसा कि **चार्ट 2.2** में प्रदर्शित है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2016-17 के दौरान सघन व्यय



(स्रोत: 2016-17, वित्त लेख, बिहार सरकार)

वित्त विभाग ने कहा कि (मार्च 2018) भारत सरकार से अनुदान की अधिकतम राशि वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में प्राप्त हुआ एवं तत्पश्चात ही उससे संबंधित व्यय को, केन्द्रीय योजनाओं के उपर्युक्त राज्यांश के साथ किया गया। आगे यह कहा गया कि नई योजनाओं के विलंब से अनुमोदन एवं दिसंबर में द्वितीय अनुपूरक बजट तथा मार्च में तृतीय अनुपूरक बजट अनुमोदित होने के फलस्वरूप व्यय, वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही एवं मार्च में किया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं के राज्यांश को कार्यहित में केन्द्रांश का इंतजार किए बिना जारी किया जा सकता था। आगे नई योजनाओं की स्वीकृति वर्ष के अंतिम तिमाही तक इंतजार किए बिना ही किया जा सकता था।

अनुशांसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

2.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2016 से 30 मार्च 2017 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया जो कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष पूर्ववर्ती 12 वर्षों से ₹ 500 करोड़ पर बना रहा है। पड़ोसी राज्यों के आकस्मिकता निधि भी काफी कम रहे थे।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416.63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये जिसमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध गैर-आकस्मिक व्यय (परिशिष्ट 2.12) के लिए किया जैसा कि चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: आकस्मिक निधि से गैर आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)



⁵ उत्तर प्रदेश : ₹ 600 करोड़, मध्य प्रदेश एवं झारखंड : ₹ 500 करोड़।

जवाब में वित्त विभाग ने कहा (सितम्बर 2017) कि ऐसे व्यय को अदा किया गया जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था तथा विधायिका सत्र में नहीं थी; व्यय को बाद में विधायिका द्वारा नियमित किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह निम्नलिखित बजटीय सिद्धान्त एवं विधायी नियंत्रण का उल्लंघन करता है :

(i) संघ और राज्यों के लिए आकस्मिक निधि का स्थापना का आधारभूत संवैधानिक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि ऐसी निधि को तत्कालिक अप्रत्याशित व्यय के निपटान हेतु कार्यकारी पदाधिकारियों को सौंपा गया है। चार्ट 2.3 में दर्शाया गया ₹ 2,726.35 करोड़ का व्यय संवैधानिक प्रावधानों या बिहार विधान मंडल के शर्तों का अनुपालन नहीं करता।

(ii) आकस्मिकता निधि से की गई निकासी के पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं पर राहत एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश को पूरा करने के लिए साल दर साल अस्थाई रूप से निधि में लगातार वृद्धि⁶ की गई। यद्यपि, आकस्मिकता निधि से पिछले पाँच वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, 0.02 से 37.67 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2012-13	2,536.92	0.48	0.02
2	2013-14	1,141.58	430.00	37.67
3	2014-15	1,875.84	204.52	10.90
4	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
5	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52

(iii) आगे, निधियों के मुख्य भाग का उपयोग गैर-आकस्मिक व्ययों यथा मोटर गाड़ियों की खरीद, वेतन/पेंशन के भुगतान इत्यादि पर किया गया। इस प्रकार के नियमित व्ययों के लिए बजटीय प्रावधान करना और वार्षिक बजट प्रक्रिया में ही परिकल्पित व्ययों को पूर्व में ही पारित कराना वित्त विभाग पर निर्भर करता है जैसा की संविधान में परिकल्पित है। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों के पालन में असफल रहा और आकस्मिकता निधि का प्रयोग अग्रदाय खाते के रूप में होता रहा।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृद्धि वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल "तात्कालिक आकस्मिक व्यय" को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तों के सभी उल्लंघन को विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।

⁶ वर्ष 2012-13 में ₹ 2,600 करोड़, वर्ष 2013-14 में ₹ 1800 करोड़, वर्ष 2014-15 में ₹ 2,000 करोड़, वर्ष 2015-16 में ₹ 4,827.41 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में 5,787.85 करोड़ तक बढ़ाया गया।

⁷ 2012-13 में ₹ 2,470.56 करोड़ (97 प्रतिशत), 2013-14 में ₹ 689.79 करोड़ (60 प्रतिशत) 2014-15 में 1,667.15 करोड़ (89 प्रतिशत) एवं 2015-16 में ₹ 2,927.07 करोड़ (61 प्रतिशत)।

2.5 बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 यह निर्धारित करता है कि माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत से बचाने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जाएगा तथा अव्ययित शेष को उसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में लौटा देना चाहिए।

नमूना जाँच (2016-17) से पता चला कि 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान 25 मामलों में सार आकस्मिक बिलों पर ₹ 15.98 करोड़ का आहरण हुआ था। इनमें से ₹ 5.77 करोड़ की राशि एक वर्ष और पाँच माह से आठ वर्ष और सात माह की अवधि तक प्रतिधारण के बाद प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.13)।

आगे, वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान 7 मामलों में सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 7.19 करोड़ की संपूर्ण राशि को नौ माह से 10 वर्ष एवं 10 माह की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.14)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में अव्ययित शेषों का हस्तांतरण नहीं करने से लोक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन का जोखिम रहता है।


अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण नहीं हो। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए सार आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण करते हैं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अव्ययित शेषों को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करते हैं।

2.6 असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

प्रत्येक वर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बजट नियंत्री पदाधिकारियों को, बि0ब0मै0 की शर्तों को बारम्बार दुहराते हैं कि वे अपने प्राप्तियों एवं व्यय के मासिक एवं त्रैमासिक आंकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं. हक0) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि, विभागाध्यक्षों ने 2016-17 के दौरान 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,05,584.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 25,430.49 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) की प्राप्तियों तथा 87 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय (₹ 1,21,213.47 करोड़) में से ₹ 1,00,816.53 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया (परिशिष्ट 2.15)। 7 प्राप्तियों एवं 7 व्यय शीर्षों⁸ से संबंधित असमाशोधन के महत्वपूर्ण मामलों को क्रमशः चार्ट 2.4 एवं 2.5 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.4: असमाशोधित प्राप्तियाँ



(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

⁸ मांग शीर्षों के अंतर्गत 6 विभाग एवं व्यय शीर्षों के अंतर्गत 16 विभाग।

चार्ट 2.5: असमाशोधित व्यय



(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या. 20—“स्वास्थ्य विभाग” एवं अनुदान संख्या 46—“पर्यटन विभाग” से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (अगस्त एवं सितम्बर 2017) की गई। समीक्षा के परिणाम निम्नवत् है :

2.7 अनुदान संख्या-20 “स्वास्थ्य विभाग” की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पाँच मुख्य शीर्ष (2210, 2211, 2235, 2251 एवं 4210) संचालित थे जिसे तालिका 2.8 सारंशीकृत किया गया है।

तालिका 2.8: 2016-17 के लिए सारंशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
पूँजीगत	913.01	207.28	1,120.29	859.06	261.23	23.32
योग	8,234.69	986.35	9,221.04	5,608.85	3,612.19	39.17

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

2.7.1 वृहत् बचत

राजस्व भाग में वृहत् बचत मुख्यतः, सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, टी0बी0 एवं कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों इत्यादि के अंतर्गत था। पूँजीगत भाग में बचत मुख्यतः, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के भू-अर्जन इत्यादि के अंतर्गत था।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

अनुशंसा : चूँकी, स्वास्थ्य विभाग अनुदान में वृहत् बचत, नियमित लक्षणों में से है, वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलकर अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वृहत् बचत की पुनरावृत्ति ना हो।

2.7.2 अनावश्यक एवं अत्यधिक पूरक प्रावधान

2.7.2 वर्ष 2016-17 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2210 एवं 2211 के अंतर्गत ₹ 103.08 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय (₹ 1,163.26 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 1,293.65 करोड़) के स्तर तक नहीं आया था। आगे, मुख्य शीर्ष 2210 के अंतर्गत ₹ 2.44 करोड़ का पूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 18.45 करोड़ का व्यय मूल प्रावधान (₹ 18.40 करोड़) से सिर्फ ₹ 5 लाख अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में विस्तृत है।

जवाब में, स्वास्थ्य विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अपरिहार्य कारणों से पूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य है क्योंकि अनुपयोगित पूरक प्रावधान, जिसका एक बड़ा भाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए था, का सुस्पष्ट कारण विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए।

2.7.2 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यद्यपि, आठ मामलों में ₹ 2.47 करोड़ का पुनर्विनियोग हुआ जबकि ₹ 65.72 करोड़ का वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान के अंतर्गत था, जैसा कि **तालिका 2.9** में विस्तृत है।

तालिका 2.9: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	0.56	18.45
2.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल एवं औषधालय-0010-इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान	32.92	0.34	24.96
3	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल एवं औषधालय-0011- संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.02	2.10
4	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल एवं औषधालय-0012- राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	4.76	0.06	4.47

क्रम. सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-05-स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दन्त महाविद्यालय, पटना	5.64	0.94	3.93
6	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003-प्रशिक्षण-0002-लोक स्वास्थ्य संस्थान	15.56	0.38	8.29
7	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ- 00-090-सचिवालय-007-स्वास्थ्य विभाग	4.44	0.02	3.52
8	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-050-भूमि-0101-ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिए भू-अर्जन	0.00	0.15	0.00
कुल		86.78	2.47	65.72

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान लेखापरीक्षा पंजी वर्ष 2016-17)

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

2.7.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

स्वास्थ्य विभाग ₹ 1,416.65 करोड़ की राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा तथा उसे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया (वर्ष के दौरान विभाग द्वारा अभ्यर्पित कुल राशि का 41.86 प्रतिशत) जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में विस्तृत है, जिसे टाला जा सकता था यदि स्वास्थ्य विभाग, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत मासिक व्यय प्रतिवेदनों को व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण हेतु इस्तेमाल करती।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

2.7.5 निधियों का पचास से सौ प्रतिशत तक अभ्यर्पण

तीन मुख्य शीर्षों (2210, 2235 तथा 4210) के अंतर्गत 11 विस्तृत शीर्षों से संबंधित राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा चिकित्सीय औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, असंगठित श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य एवं लोक शिक्षा में मानव संसाधन इत्यादि का ₹ 574.17 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे अभ्यर्पित किया गया। आगे, तीन मुख्य शीर्षों (2210, 2211 एवं 4210) के अंतर्गत 12 मामलों में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मानसिक अस्पताल, नवीन चिकित्सीय महाविद्यालय, पराचिकित्सीय संस्थान आदि से संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,179.25 करोड़ (₹ 3,034.55 करोड़ के कुल आवंटन का 71.81 प्रतिशत तथा आवंटन का 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच) वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में विस्तृत है।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)

अनुशांसाएं: स्वास्थ्य विभाग को अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ससमय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु उपायों की पहल करनी चाहिए जिससे कि आवंटित निधि का उपयोग हो सके।

2.8 अनुदान संख्या-46 "पर्यटन विभाग" की समीक्षा

पर्यटन विभाग से संबंधित अनुदान के अंतर्गत संचालित तीन मुख्य शीर्षों (3451, 3452 एवं 5452) की स्थिति **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है जो निम्नवत है।

तालिका 2.10: वर्ष 2016-17 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावधान	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	बचत (प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व	31.78	69.16	100.94	88.67	12.27	12.16
पूँजीगत	640.71	43.00	683.71	63.07	620.62	90.77
कुल	672.49	112.16	784.65	151.76	632.89	80.66

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2016-17)

2.8.1 वृहत् बचत

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 100.94 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध सिर्फ ₹ 88.67 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.27 करोड़ (कुल प्रावधान का 12.16 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्यतः 'पर्यटन केन्द्र एवं पर्यटन विकास' से संबंधित योजनाओं के शीर्षों के अंतर्गत था। पूँजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 683.71 करोड़ के प्रावधान में राज्य योजना (₹ 70.51 करोड़) तथा केन्द्रीय योजना (₹ 613.20 करोड़) शामिल था। राज्य योजना के विरुद्ध सिर्फ ₹ 63.09 करोड़ व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 'पर्यटन संरचना का विकास' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.42 करोड़ की बचत हुई। केन्द्रीय योजना में प्रदत्त ₹ 613.20 करोड़ में से ₹ 576.54 करोड़ एवं ₹ 36.66 करोड़ क्रमशः स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना के लिए था। यद्यपि, इन योजनाओं के लिए आवंटित निधि (₹ 613.20 करोड़) को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक जारी नहीं किया गया था।

पर्यटन विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)

2.8.1 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण

पाँच विस्तृत शीर्षों से संबंधित ₹ 168.11 करोड़ के कुल प्रावधानों में से ₹ 12.67 करोड़ (कुल प्रावधान का 7.54 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया जो तालिका 2.11 में विस्तृत है।

तालिका 2.11: वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0015-पर्यटन विभाग	2.61	0.36
2.	3452-पर्यटन-01-पर्यटन अवसंरचना-101-पर्यटन केन्द्र-0001-पर्यटन केन्द्र	50.98	2.95
3	3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001 - निदेशालय	16.51	1.31
4	3452-पर्यटन-80-सामान्य- 104-पदोन्नति एवं प्रचार - 0103-पर्यटन विभाग	27.50	6.47
5	5452-पर्यटन पर पूँजी परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-101-पर्यटन केन्द्र - 0104- पर्यटन संरचनाओं का विकास	70.51	1.58
	कुल	168.11	12.67

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, वर्ष 2016-17)

2.8.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

मुख्य शीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-0101-बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ₹ 1.00 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि संपूर्ण प्रावधान को व्यय किये बिना ही अभ्यर्पित कर दिया गया।

पर्यटन विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अपरिहार्य कारणों से राशि का उपयोग नहीं किया गया।

जवाब अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य हैं क्योंकि अनुपयोगित पूरक प्रावधान का सुस्पष्ट कारण विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए।

2.8.3 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

53 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 57.01 करोड़ में से सिर्फ ₹ 17.53 करोड़ के 24 विस्तृत आकस्मिक विपत्र मार्च 2017 तक प्रस्तुत एवं अंशतः समायोजित किया गया। 2006-07 से 2015-16 की अवधि के दौरान निधियों का आहरण मुख्यतः गया में पर्यटक परिसर का निर्माण, बोध गया में माया सरोवर का विकास, राजगीर में इंद्राशन हॉल एवं सम्मेलन हॉल के नवीकरण, राजगीर में ब्रह्म कुंड का विकास एवं भू-अर्जन इत्यादि के लिए किया गया था। ₹ 39.48 करोड़ के 52 विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 तक समायोजन हेतु लंबित थे जैसा कि तालिका 2.12 में विस्तृत है।

विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का निर्धारित अवधि तक अप्रस्तुतिकरण से वित्तीय नियमों का उल्लंघन तथा लोक धन के दुर्विनियोजन एवं अहितकर परंपराओं के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

तालिका 2.12 : लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		प्रस्तुत विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(1)
1	2006-07	5	3.81	4	2.28	5	1.53
2	2007-08	2	0.62	2	0.43	2	0.19
3	2009-10	3	2.26	3	0.77	3	1.49
4	2010-11	2	1.05	1	0.19	2	0.86
5	2011-12	2	2.33	0	00	2	2.33
6	2012-13	17	26.28	12	13.61	16	12.67
7	2013-14	2	0.51	0	00	2	0.51
8	2014-15	18	17.67	2	0.25	18	17.42
9	2015-16	2	2.48	0	00	2	2.48
कुल योग		53	57.01	24	17.53	52	39.48

(स्रोत: पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

अनुशंसा : स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग को व्यय के रुझानों का निगरानी करना चाहिए ताकि बचत कमतर किया जा सके, निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण न किया जाए एवं अतिशीघ्र अभ्यर्पित किया जाय।